फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

किस्म प्रकरण : राजस्व वाद

नरसिंहराम — मुकदमा नं.– 219/2017 — मुरलीधर वगैरह

हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत हाकिम मय तारीख

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
2-8-17	यह वाद वादी ने अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रतिवादीगणो के विरुद्ध अधीन धारा ...—... राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। वाद वादी का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 24.11..2017 को पेश हो।	
	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता 24-11-17 पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 13/12/17..को प्रस्तुत करें।	
	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता 13-12-17 पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 8-01-18...को प्रस्तुत करें।	
	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता 8-01-18 पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 07.2.18..को प्रस्तुत करें।	
7-2-18	वकला[illegible] उप. वकील शिवकुमार पाराशर ने प्रतिवादी सं.01 की ओर से वकालतनामा व ईकबाली जवाब पेश किया। जवाब शामिल पत्रावली हो। प्रतिवादी सं.02 का सम्मन तामिल होकर प्राप्त हुआ शामिल पत्रावली हो। पत्रावली प्रतिवादी सं.2 के जवाब हेतु दिनांक 16-2-18 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

TWO RUPEES

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिषिल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
	राजस्व वाद सं. 219/17 अनवान नरसिंहलाल बनाम मुरलीधर	
.6.18	पत्रावली निकाय आप के द्वार शिविर में अटल सेवा केन्द्र डिडिया कला में पेश हुयी पत्रावली में प्रतिवादी सं. 2 राजस्व पटवारी ने रिपोर्ट अंकित कर अवगत कराया कि वादी के पिता सत्यनारायण फौत होने से उन के स्थान पर ग्राम नराधना के नामान्तरण सं. 1498 के द्वारा बिठलचन्द, मुरलीधर, मनोजकुमार, नरसिंह, पि. सत्यनारायण, दुर्गादेवी, कौशल्या, गुलाबी, नर्बदा पुत्रियां सत्यनारायण जाति ब्राह्मण ब. हि ब. नामान्तरण दर्ज किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। नामान्तरण सं. 1498 के अनुसार सत्यनारायण के चार पुत्र व चार पुत्रियां है जब कि वाद में पक्षकार नरसिंहलाल व मुरलीधर है शेष को वाद में नहि बनाया गया है जब कि सभी पक्षकार नहीं बनाया गया है जब कि सभी को वाद में पक्षकार अंकित करना था। पत्रावली के अवलोकन करने व तहसील-दार जायजा की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि वादी के द्वारा सत्यनारायण के सभी पुत्र व पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाने के कारण वादी का वाद चलने योग्य नहीं है अतः वादी का वाद अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। [signature]	

Scanned by CamScanner